

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जून 2023—ज्येष्ठ 17, शक 1945

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2023

आर-1274458-2023-बी-3-दो.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट पुलिस थाने के नाम को, कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पुलिस थाने के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा करती है, अर्थात् :—

सारणी

शासकीय रेलवे पुलिस थाने का विद्यमान नाम (1)	शासकीय रेलवे पुलिस थाने का नवीन नाम (2)
शासकीय रेलवे पुलिस थाना, हबीबगंज	शासकीय रेलवे पुलिस थाना, रानी कमलापति

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

R-1274458-2023-B-3-Two,—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, declares to change the name of Police Station as specified in column (1) as the Police Station as specified in column (2) of the table given below, namely :—

TABLE

Exiting name of Government Railway Police Station (1)	New name of Government Railway Police Station (2)
Government Railway, Police Station, Habibganj	Government Railway, Police Station, Rani Kamalapati

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.